(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा0मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2604–एक/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 04–08–2014 – पारित व्दारा अतिरिक्त तहसीलदार मल्हारगढ़ जिला मंदसौर – प्रकरण कमांक 5/अ–13/2013714

(1) घीसालाल पुत्र भुवानीराम ढोली
(मृतक)वारिस
1– श्रीमती गोपालवाई पत्नि स्व.घीसालाल
2– हरीश पुत्र स्व.घीसालाल
दोनों निवासी ग्राम बादपुर तहसील मल्हारगढ़
3– श्रीमती ममतावाई पुत्री स्व.घीसालाल
पत्नि कॅवरलाल, मयूर कालोनी मंदसौर
4– श्रीमती सरितावाई पुत्री स्व.घीसालाल
पत्नि लालाराम,बोरदिया कलॉ तहसील नीमच
5– श्रीमती हेमलता पुत्री स्व.घीसालाल
पत्नि दिनेश कुमार ग्राम नया पिपल्या
तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर
6– श्रीमती पिंकी पुत्री स्व.घीसालाल पत्नि
मनोज निवासी लव्यकाली कालोनी
मनासा तहसील मनासा
(2) शिवलाल पुत्र भुवानीराम ढोली
(3) नारायण पुत्र भुवानीराम ढोली
निवासीगण ग्राम बादपुर तहसील
मल्हारगढ़ जिला मंदसौर ---आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती मंजूवाई पत्नि गोपाल ढोली निवासी
बादपुर तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर --- अनावेदक

(श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक – आवेदकगण)
(श्री आर0डी0शर्मा अभिभाषक – अनावेदकगण)

आ दे श
(दिनांक 14 दिसम्बर, 2015)

अतिरिक्त तहसीलदार मल्हारगढ़ जिला मंदसौर द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–13/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 4–8–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसील मल्हारगढ़ में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 131, 132, 134 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि उसके ससुर कचरूलाल ढोली के नाम से मौजा बादपुर में भूमि सर्वे कमांक 295 रकबा 0.72 आरे है जिस पर वह खेती करती है। इस भूमि पर आने जाने का रूढ़िगत रास्ता (आगे जिसे रूढ़िगत रास्ता अंकित किया गया है) मौजा वादपुर से बासखेड़ी आने वाले आम रास्ता सड़क से होकर फिर आगे उत्तर दिशा की ओर मुड़कर फिर उत्तर दिशा एंव पूर्व दिशा की ओर से घिसालाल के खेत की दक्षिण मेड़ के सहारे सहारे सर्वे नंबर 295 की भूमि पर पहुंचता है जो रूढ़िगत रास्ता है वहीं से आवेदिका कृषि कार्य हेतु सामान, बैलगाड़ी लाती ले जाती है एंव कृषि उपज लाती ले जाती है परन्तु आम रास्ते को आवेदकगण ने मेढ़ फाड़कर अपने खेत में मिला लिया एंव रास्ते के उपयोग करने से मना कर दिया है। अतः पूर्ववत् रास्ता खुलवाया जावे। तहसीलदार मल्हारगढ़ ने प्रकरण कमांक 5/अ-13/2013-14 पंजीबद्व किया तथा तहसीलदार मल्हारगढ़ ने उभय पक्ष की उपस्थिति में दिनांक 8-7-14 को स्थल निरीक्षण किया तथा अंतरिम रूप से मार्ग खुलवाये जाने के बिन्दु पर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया। पेशी 14-7-14 को आवेदक की ओर से संहिता की धारा 32 का आवेदन दिया गया, जिसकी नकल अनावेदक को दिलाई गई। अति. तहसीलदार मल्हारगढ़ ने हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई उपरांत अंतिरिम आदेश दिनांक 4-8-14 पारित किया तथा मौके पर उत्पन्न किये गये अवरोध हटाने का अंतरिम आदेश दिया गया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि

तहसीलदार मल्हारगढ़ ने वादग्रस्त रूढ़िगत रास्ते का दिनांक 8-7-2014 को स्थल निरीक्षण किया है एंव मौके पर ही प्रकरण लिया है । स्थल निरीक्षण के समय ग्रामवासी एंव उभय पक्ष मौजूद रहे हैं मौके पर ही वादग्रस्त रूढ़िगत रास्ते का नजरी नक्शा तैयार कराया गया है । स्थल निरीक्षण के समय मौके पर बनाई गई टीप इस प्रकार है :-

" प्रतिप्रार्थीगण व्दारा प्रार्थिया के खेत सर्वे नं. 295 पर आने जाने के लिये बताये गये रास्ते सर्वे नं. 349 की उत्तरी मेड़ पर दर्शाया गया है जिसे नजरी नक्शे में नीली स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर 4 से 6 एंव 8 फीट तक चौड़ी मेड़ होकर झाड़-झंखाड़ खड़े हैं तथा उक्त सर्वे नंबर 349 भंवरवाई सेवा रामसिंह आदि के खाते की भूमि है ।"

स्पष्ट है कि मौके की स्थिति अनुसार पर 4 से 6 एंव 8 फीट तक चौड़ी मेड़ होना पाई गई , जिसे आवेदकगण ने जोत कर समतल करने एंव खेत में मिलाने का प्रयास करना पाया गया और इन्हीं कारणों से अतिरिक्त तहसीलदार मल्हारगढ़ ने अंतरिम आदेश दिनांक 4.8.2014 से अनावेदक को कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर बैलगाड़ी, हल वखर आदि लाने व ले जाने के लिये उक्त मार्ग उपलब्ध कराने के अंतरिम आदेश दिये हैं जिसमें किसी प्रकार का त्रृटि नहीं है। वैसे भी अतिरिक्त तहसीलदार ने प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं किया है और अभी अति0 तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण को प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अति0 तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अतिरिक्त तहसीलदार मल्हारगढ़ जिला मंदसौर द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ-13/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 4-8-2014 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर